न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 34 / 2022 (2022 / 39)

<u>अपीलार्थीपक्ष</u>

1. जब्बरसिंह पुत्र बलवंतसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ,खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम खुड़ियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>रेस्पोडेन्ट्स</u>

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी शेरगढ जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 461 ग्राम खुडियाला जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया।

————

<u>उपस्थिति :—</u>

1. अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा (अपीलार्थी पक्ष)।
2. सरकारी अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी (रेस्पोडेन्ट संख्या 2)।

—: <u>आदेष</u> :— दिनांक :— 24.05.2022

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 461 ग्राम खुडियाला जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेष की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है। अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी ने वकालतनामा पेश किया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस दिनांक 18.05.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि दिनांक 13.04.2022 को पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अपीलार्थी की भूमि पर आए और कहा की उक्त भूमि खाली करो क्योंकि उक्त भूमि पीडब्ल्यूडी की है जिसका ना[illegible]ा पीडब्ल्यूडी के नाम हो चुका है। इस पर अपीलार्थी ने पटवारी हल्का से रि[illegible] की जानकारी ली तो पटवारी ने बताया कि आपकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 451 में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

का नामान्तकरण संख्या 461 रास्ते बाबत् स्वीकृत किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी को सर्वप्रथम अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 13.04.2022 को हुई। नामान्तरकरण संख्या 461 की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अपीलार्थी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 451 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा ग्राम खुडियाला तहसील शेरगढ हाल तहसील बालेसर जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में कटाणी मार्ग आया हुआ है। जो बालेसर से तिंवरी की तरफ जाता है। उक्त रास्ते के उत्तर की तरफ अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आयी हुई है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ते हेतु अपीलार्थी को बगैरा सुनवाई का मौका दिये रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि कम कर दी तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो काबिले निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के आगे खसरा संख्या 796 रकबा 21.09 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता चलता है। उक्त भूमि के रहते हुए भी केवल और केवल अपीलार्थी की भूमि क्यों ली गई ? मौजूदा कटाणी रास्ते को यदि चौड़ा किया जाता और नियमानुसार दोनों तरफ के खातेदारों की भूमि में से कटौती की जाती तो अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। मौजूदा नक्शे के अनुसार कटाणी रास्ता बिल्कुल सीधा है जिसमें किसी प्रकार का कोई घुमाव नहीं है। ऐसी स्थिति में कटाणी रास्ते को चौड़ा करके कटाणी रास्ते के मध्य बिन्दु से नियमानुसार दोनों तरफ के खातेदारों की भूमि ली जानी चाहिए थी लेकिन प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए केवल अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता निकालने का आदेश कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व नामान्तरकरण पारित करने से पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग शेरगढ़ से कोई मार्गदर्शन नहीं लिया। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पूछा गया कि स्टेट हाइवे की सड़क सीमा दोनों तरफ काटी जाती है या एक तरफ ? इस पर लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 खण्ड शेरगढ़ ने प्रत्युत्तर में बतालाया कि स्टेट हाइवे सड़क (सड़क सीमा डामर सड़क के दोनों तरफ जाती है।) अतः इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार को कटाणी मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनों तरफ के खातेदारों की आधी–आधी जमीन लेनी चाहिए थी। अतः प्रकरण में तहसीलदार द्वारा कटाणी मार्ग के एक तरफ के खातेदारी की भूमि अनुचित व विधि विरूद्ध आवाप्त कर नामान्तरकण की कार्यवाही की जो खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी ने बहस में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें रेस्पो0 संख्या 02 को कोई आपत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:40:31 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो0 संख्या 01 ने बहस में बतलाया कि ग्राम खुडियाला के खसरा संख्या 451 व 451 / 1 क्रमशः रकबा 28.02 बीघा व 5.10 बीघा किस्म क्रमशः बारानी प्रथम व गै0 मु0 रास्ता जो जब्बरसिंह वगैरा के खातेदारी में से दर्ज है। उक्त भूमि के चिपते ही दक्षिण में कटाणी मार्ग खसरा संख्या 796 रकबा 21.09 बीघा गै0 मु0 रास्ता ग्राम पंचायत खुडियाला के नाम दर्ज है। मौके पर डामर सड़क गै0 मु0 रास्ता खसरा संख्या 796 पर नहीं होकर खसरा संख्या 451 व 451 / 1 में बनी हुई है। तत्कालीन विभाग द्वारा किसी भी सड़क हेतु भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने तथा रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है।

प्रथमतः अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन यह है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं राज्य सरकार द्वारा राज्यमार्गों के लिए जारी अवाप्ति के नियमों की पालना किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। द्वितीयतः अपीलार्थीपक्ष की भूमि के आगे कटाणी रास्ता खसरा संख्या 796 रकबा 21.09 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता को छोड़कर केवल अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता निकाल दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 461 ग्राम खुडियाला को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौका निरीक्षण कर कटाणी रास्ता खसरा संख्या 796 के साथ–साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का आकलन कर विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अपीलार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।